हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | हुक्म की तामील में जारी हुए

16/2 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान आहूत।
बहस के दौरान वादी वकील ने निवेदन
किया कि जबतक न हो तब तक निर्माण
कार्य न करे। इसके उपरान्त प्रतिवादी
वकील ने निवेदन किया कि निर्माण पूर्व
मे ही हो चुका है। आवागमन का रास्ता
बंद करना चाहते है। गलत उपयोग करेंगे।
इसलिए प्रार्थना पत्र न I खारिज करने
का निवेदन किया। इसके प्रत्युत्तर में
वादी वकील ने निवेदन किया कि कोई
नया निर्माण न करे। इसके प्रत्युत्तर
में प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया
कि ~~कोई~~ कृषि प्रधान देश है। खेतो
में मकान बने हुये हैं।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर
मनन किया गया एवं पत्रावली का
अवलोकन किया गया। हकतकरार
हक का दावा है। वादी के अनुसार
वादिनी प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्री है
जो इकलौती संतान है। जबकि
प्रतिवादी के अनुसार वादिनी उनकी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व ... जो ... तारीख

गयी नहीं है। वादिनी के अधिकारों को प्राथमिकता के ~~अधिकारों को~~ आधार पर बंटवारा को निर्णीत किया जायेगा। आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है जिस कारण प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादिनी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अपूर्णीय क्षति - जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि विवादित आराजी में वादिनी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं बनता है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिवादी के ही अधिकारों का हनन होगा जिससे अपूर्णीय क्षति भी प्रतिवादी को ही होगी। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादी के पक्ष में निहित है।

सुविधा का संतुलन - चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा से उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रतिवादी के पक्ष में निहित हैं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को रोका जाता है तो उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे प्रतिवादी को ही असुविधा कारित होगी

मुकाम

बनाम

मा .... नं. ____________ सन् ____________

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी के पक्ष में निहित है। उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थिनी का प्रा० पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड से कम की जावे। संलग्न मूलवाद हो। SDO	